(K-1002)

LL.B. I Sem. Examination, Dec. 2017

LAW-II Constitutional Law of India-I

(Nature of the Constitution and Fundamental Right)

Time: Three Hours] [M.M.: 100

नोट: सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Attempt all the Sections as per given instructions.

खण्ड-अ (Section-A)

Note: सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

Attempt all five questions. Each question carries 4 marks. Very Short Answer is required not exceeding 75 words.

1. 'विधि के समक्ष समता' एवं 'विधियों का समान संरक्षण' में अन्तर कीजिए।

   Distinguish between 'Equality before law' and 'Equal protection of laws'.

2. भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। अति-संक्षेप में लिखिए।

   How many Fundamental Rights are there under the constitution of India? Write down in very brief.

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में उपबन्धित प्रावधान को लिखिए।

   Write down the provision as contained under Article 21A of the Constitution of India.

4. भारतीय संविधान में विहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है?

   What is the importance of Directive Principles of State Policy as contained under the Indian Constitution?

5. क्या संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत व्यक्ति को प्रत्याभूत धार्मिक अधिकार पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इनके आधार लिखें।

   Can religious freedom to individuals as guaranteed under Article 25 of the constitution be restricted? If yes, then write down the grounds.

खण्ड-ब (Section-B)

Note: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short Answer is required not exceeding 200 words.

6. अनुच्छेद 14 एक ऐसे प्राणभूत सिद्धान्त को घोषित करता है जो हमारे गणतंत्रीय प्रणाला का आधार हैं एवं जो वर्ग रहित समतावादी-सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के उद्देश्या का शव करता हुआ प्रकाश स्तम्भ की तरह प्रकाशमान है।" भारतीय वादविधि के आला उपर्युक्त कथन का परीक्षण कीजिए।

   "Article 14 enunciates a vital principle which lies at the core of our republicanism shines like beacon light printing towards the goal of Classless-egalitarian-socio-economic order", Examine the above stater ment in the light of Indian case law,

7. परिसंघवाद की संकल्पना परिवर्तनशील समय के अधीनस्थ परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील अवधारणा में आप भारतीय संविधान को कहाँ रथान देग? विवेचना कीजिए।

The concept of federalism is subject to change with changing time. Where will you place the constitution of India in this changing concept? Discuss.

8. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकार के बीच सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए।

Discuss the relationship between Directive Principles of State Policy and Fundamental Rights. Refer to decided cases.

खण्ड-स (Section-C)

Note: निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

Attempt any three questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks, Answer is required in detail.

9. "आपराधिक न्याय प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन का परिणाम है।" निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

"Criminal justice system is the result of judicial interpretation of Article 21 of the constitution of India". Discuss with the help of decided cases.

10. न्यायपालिका ने वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को एक अतिसमृद्ध विकास देते हुए निर्वचन किया है। महत्वपूर्ण नवप्रवर्तनों को इंगित कीजिए।

The freedom of speech and expression has been interpreted by the Judiciary to give it a luxuriant growth, Point out the important innovations.

11. पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। क्या भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य के स्थापना का उपबंध करती है। इस संदर्भ में न्यायालयों का क्या प्रवृत्ति रहा है? विवेचना कीजिए।

Define the concept of secularism. Does the Indian constitution provides for the establishment of a secular state? What has been the attitude of the courts in this regard ? Discuss.

12. भारतीय संविधान में प्रत्याभूत 'मूल अधिकारों' को किन परिस्थितियों में और किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? क्या इन अधिकारों को सामान्य दिनों में सशस्त्र बलों के सदस्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी निलंबित अथवा निराकृत किया जा सकता है? विवेचना कीजिए।

In what circumstances and by whom can the fundamental rights guaranteed by the constitution be suspended ? Can they also be suspended or abrogated in their application to Armed Forces in normal times? Discuss.

13. अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए|

Define Minority ? Discuss the cultural and educational rights of Minority guaranteed under Part Ill of the Indian Constitution, Refer to decided cases.